फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001 ।

संख्या-डीजी परिपत्र संख्या-65/2015 दिनाँक लखनऊ:अगस्त 16,2015

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/
समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन,
उत्तर प्रदेश।

विषय: सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस साक्षीगण पर प्रासेस तामीला विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक अभियोजन उ0प्र0 के पत्रांक:पाँच:2-222-2015/4164 दिनांक 04.09.2015(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा न्यायालयों एवं सम्मन सेल से जब भी थाने पर विवेचना के समय तैनात किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी का सम्मन या वारण्ट प्राप्त हो और उसका वर्तमान पता व तैनाती ज्ञात न हो तो थाने के नियुक्ति रजिस्टर को देखकर उसका मूल निवास का पता भर दिया जाय और रजिस्टर्ड डाक या विशेष वाहक द्वारा सम्मन उसके मूल निवास के पते पर तथा वारण्ट मूल निवास के थाने पर तामीला हेतु भेज दिया जाय ताकि वह उसे मिल सके और वह गवाही देने न्यायालय में आ सके।

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थों से इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करायें ताकि मा0 न्यायालय में लम्बित वादों का त्वरित/समय पर निस्तारण सम्भव हो सके।

संलग्नक:यथोपरि।

16/9/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक अभियोजन उ0प्र0 को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।

1253
10/9/15

23953

20 ...

शीर्ष प्राथमिकता

अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश,

शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3)

पत्रॉकः पॉच–2–222–2015/ 4164 दिनॉक 4-09-2015

समस्त
अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन,
परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन/परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक अभियोजन उ0प्र0

विषयः–सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस साक्षीगण पर प्रासेस तामीला विषयक।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयों में लम्बित फौजदारी वादों के विचारणों के दौरान पुलिस साक्षीगण की उपस्थिति पूर्णरूपेण सुनिश्चित कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिसका कारण पुलिस साक्षीगण का वर्तमान पता नियुक्ति स्थान एवम् उनके स्थायी पते का न होना है।

न्यायालयों एवं सम्मन सेल से जब भी थाने पर विवेचना के समय तैनात किसी भी सेवारत या सेवा निवृत्त पुलिस कर्मी का सम्मन या वारण्ट प्राप्त हो और उसका वर्तमान पता व तैनाती ज्ञात न हो तो थाने के नियुक्ति रजिस्टर को देखकर उसका मूल निवास का पता भर दिया जाय और रजिस्टर्ड डाक या विशेष वाहक द्वारा सम्मन उसके मूल निवास के पते पर तथा वारण्ट मूल निवास के थाने पर तामिला हेतु भेज दिया जाय ताकि वह उसे मिल सके और वह गवाही देने न्यायालय में आ सके।

अतः आप अपने अधीनस्थों से तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें ताकि न्यायालयों में लम्बित फौजदारी वादों का त्वरित निस्तारण सम्भव हो सके।

16(P6)

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक
8/9/15

Sd/-
4/9/15
(डा0 सूर्य कुमार)
पुलिस महानिदेशक अभियोजन
उ0प्र0,लखनऊ।

पुलिस महानिरीक्षक (लो०शि०)
उ०प्र०
10.9.15

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सूचनार्थ।

Pl. Put up with file
10/9/15